



भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम)
एम एस एम ई - विकास संस्थान, इन्दौर

उद्यामिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार, एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, इंदौर द्वारा वर्ष 2017-18 में सामान्य वर्ग के लिए उद्यामिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है:-

प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने की संभावित तिथि	प्रशिक्षण का विषय	कार्यक्रम के आयोजन का स्थान	वर्ग	योग्यता	
				आयु	शिक्षा
08.12.2017	घरेलू बिजली के उपकरण के मरम्मत पर	एमएसएमई-विकास संस्थान, 10, पोलोग्राउण्ड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर	सामान्य	18 वर्ष और उपर	10 वीं उर्तीण

1. प्रशिक्षण अवधि : 06 सप्ताह ।
2. प्रशिक्षण शुल्क : (रु0 200 सामान्य/ओबीसी वर्ग) (रु0 100 महिला व दिव्यांग वर्ग) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए निःशुल्क ।
3. प्रशिक्षण विवरण : कार्यक्रम के तहत उद्यामिता सह कौशल विकास के अंतर्गत अनुभवी फौकल्टी द्वारा शासकीय वित्तीय योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ उद्यामिता एवं कौशल विकास के संबंध में जानकारी प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण उपरांत भारत सरकार एमएसएमई-डीआई, इंदौर के द्वारा नियमानुसार प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।
4. आवेदन विधि : आवेदन सादे कागज पर, नीचे दिए ईमेल अथवा कार्यालय में आकर में दिनांक 07.12.2017 तक भेजा जा सकता है ।

(आधार कार्ड एवं मोबाईल नं0 आवश्यक है)

आवेदन के लिए संपर्क करे : विजय गर्ग, सहायक निदेशक मो: 9425349589

E-mail: vjaygarge59@gmail.com

आयोजक

निदेशक, एमएसएमई-विकास संस्थान,
10, पोलोग्राउण्ड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर

फोन नं. 0731-2421037, 2421659

E-mail: dcidi-indore@dcmsmc.gov.in, Website: www.msmeindore.nic.in

उद्योग आधार हेतु उद्यमी हेल्पलाइन न. 1800 180 6763

दिनांक 04/12/2017 को
देवि क शर्मा इंदौर, लखनऊ में
प्रकाशित करे।

विजय गर्ग
28/11/18